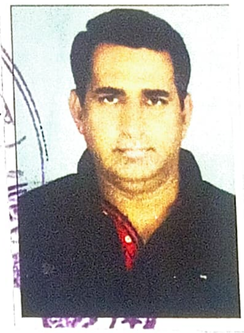

सत्यमेव जयते

जयपुर विकास प्राधिकरण

पट्टा–विलेख (फ्री होल्ड)

संस्थागत

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / D-4972

दिनांक 12/6/2023

पट्टा धारक का नाम —— पुत्र/पुत्री ——

पत्नी —— पति ——

निवासी ——

अथवा

पट्टा धारक ~~मैसर्स~~ मानसी चिल्ड्रन शिक्षा समिति कार्यालय पता रेनवाल मांजी तह. माधोराजपुरा जिला जयपुर (राज.) जरिये सचिव

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री मंगल चन्द यादव पुत्र/पुत्री सोहन लाल यादव

निवासी वार्ड पीथावास (गोविन्दपुरा) कालवाड़ रोड झोटवाडा (जयपुर)

भूखण्ड सं. —— क्षेत्रफल 4976.87 व.मी.

राजस्व ग्राम रेनवाल तह. माधोराजपुरा खसरा सं. 2889/3, 2889/4

योजना एकल पट्टा, संस्थानिक (शैक्षणिक प्रायोजनार्थ) में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 12/6/2023 को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

Secretary
Mansi Children Shiksha Samiti
Renwal Manji, Jaipur

1. ....
2. ....

उपायुक्त

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

नोट – शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

Sub Registrar
Jaipur-III

जविप्रा

विप्रा

संस्थागत

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर–कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड / निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावें।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप–पट्टे (सब–लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय / हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए नियम में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार / जीवन बीमा निगम / ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नही होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन / पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरूद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता / गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया हैं। इनके सभी प्रावधान व शर्ते लागू होगी जिनकी पालना नही करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य..

नोट :– आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नही होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि RV- 1990748/–

SV-1,19450+50

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:–

पूर्व....../...... पश्चिम....../......

उत्तर....../...... दक्षिण....../......

साइट प्लान संलग्न हैं।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

Secretary
Mansi Children Shiksha Samiti
Renwal Manji, Jaipur

अंगूठा निशान

2. ....

अंगूठा निशान

साक्षी :–

हस्ताक्षर Bley

नाम बाबू लाल यादव

पता 147 शिवपारिका कालवाड़ रोड़ हाथोज जयपुर

अंगूठा निशान

उपायुक्त
जोन - 14
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण

SITE PLAN OF INSTUTITIONAL

KHASRA NO-2889/3,2889/4
IN VILLAGE-RENWAL, TEHSIL-MADHORAJPURA, DIST. JAIPUR

TOTAL LAND AREA = 5310.00 SQ. MTR.

AREA UNDER 18.0M. ROAD = 96.00 SQ. MTR.

AREA UNDER 12.0M. ROAD = 237.13 SQ. MTR.

REMAINING LAND AREA = 4976.87 SQ. MTR.

B.A.R. STANDARD - 2.00
HEIGHT-1.5 TIMES OF THE ROAD WIDTH+FRONT SET BACK
GROUND COVERAGE = 40%

SCALE: 1 : 1000

NOTE - OTHER BUILDING PARAMETERS AS PER BYE LAWS 2020
APPROVED MAP AS PER TOWNSHIP POLICY 2010

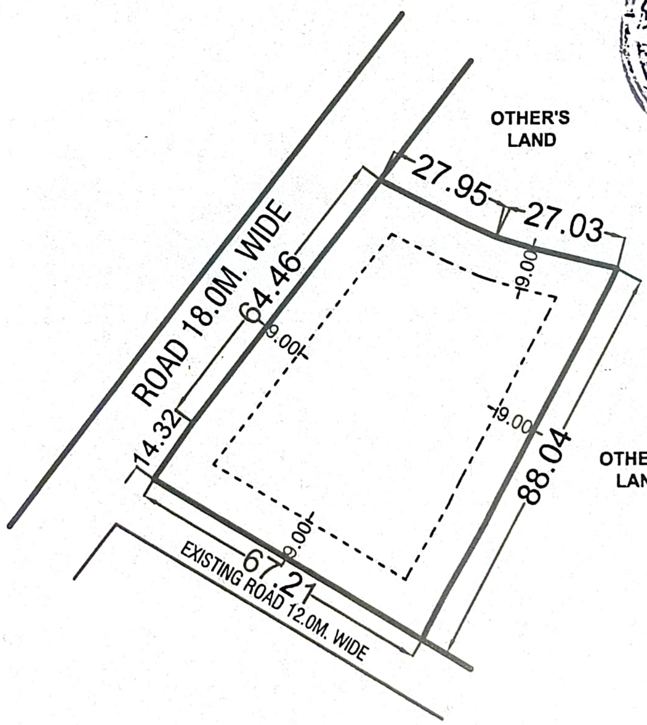

SITE ENGINEER
ZONE -14

A.T.P.
ZONE -14

DY.COMMISSIONER
ZONE -14

Registration Endorsement

आज दिनांक 16/06/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 996 में
पृष्ठ संख्या 75 क्रम संख्या 202303017110926 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4007 के
पृष्ठ संख्या 652 से 665 पर चस्पा किया गया।

202301017012006

उप पंजीयक, JAIPUR-III

Sub Registrar
Jaipur-III

Lease deed after regularization under 90A